भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 227

सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

एस.सी.ई.आई. के लिए विशेष सहायता योजना

†227. श्री नलिन सोरेन:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री जुगल किशोर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता नामक एक नई योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर सहित उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को अब तक प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋण/सहायता का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश भर में पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विगत दो वर्षो के दौरान केरल राज्य के लिए पूंजी निवेश योजना हेतु राज्यो को विशेष सहायता के अंतर्गत निधियां स्वीकृत की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी हाँ। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' की शुरूआत की थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी जारी रखा गया था। इसके पश्चात, योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के रूप में लागू किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी जारी रखा जा रहा है। अभी तक राज्यों को योजनाओं के तहत प्रदान की गई विशेष सहायता (ऋण) का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध-'क 'में दिया गया है। जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) को कोई निधि जारी नहीं की गई है क्योंकि यह योजना केवल राज्यों के लिए है, न कि केंद्रशासित प्रदेशों के लिए। केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में, गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों की सामान्य निवल उधारी सीमा (एनबीसी) पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें वित्तआयोग) की सिफ़ारिश के अनुसार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4% निर्धारित की गई थी। वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित जीएसडीपी के 4% की सामान्य एनबीसी में से, अनुमानित जीएसडीपी के 0.50% की उधारी सीमा वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किए गए वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित की गई थी, जिसके लिए, प्रत्येक राज्य के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 में, उन राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है जिन्होनें अपने स्वयं के संसाधनों से पूंजीगत व्यय में 10% से अधिक की वृद्धि हासिल कर ली है।

(घ): वित्त वर्ष 2022-23 में, केरल राज्य के लिए 1902.74 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वित्त वर्ष 2023-24 में, पूर्व में जारी की गयी निधियों का उपयोग न किए जाने और योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन न किए जाने के कारण केरल राज्य को कोई निधि जारी नहीं की जा सकी।

(ङ): पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है। इन योजनाओं के तहत राज्यों को प्रदान की गई विशेष सहायता (ऋण) का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक **'क'** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-'क'

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना के तहत राज्यों को जारी की गयी निधियाँ:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (28.01.2025 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	688.00	501.79	6,105.56	4090.81	5604.71
2	अरुणाचल प्रदेश	232.97	371.19	1,564.10	2363.42	606.02
3	असम	450.00	600.00	4,300.14	5804.43	6200.18
4	बिहार	843.00	1,246.50	8,455.85	8814.80	11521.88
5	छत्तीसगढ़	286.00	423.00	2,941.97	3365.25	5768.40
6	गोवा	97.66	111.04	572.75	695.20	1185.18
7	गुजरात	285.00	432.00	4,045.82	4254.32	3893.35
8	हरियाणा	91.00	135.00	1,267.00	1702.05	807.30
9	हिमाचल प्रदेश	533.00	800.00	650.80	1515.97	1050.26
10	झारखंड	277.00	246.00	2,964.32	4580.61	1233.74
11	कर्नाटक	305.00	451.50	3,399.35	3879.24	4795.21
12	केरल	81.50	238.50	1,902.74	0.00	1272.27
13	मध्य प्रदेश	1,320.00	1,512.36	7,360.20	12636.21	10166.58
14	महाराष्ट्र	514.00	771.73	6,744.16	5376.31	5223.31
15	मणिपुर	317.16	212.85	467.22	542.70	568.30
16	मेघालय	200.00	281.20	1,049.02	1293.06	1669.40
17	मिज़ोरम	200.00	299.99	297.50	743.28	630.00
18	नागालैंड	200.00	300.00	504.16	973.20	462.48
19	ओडिशा	471.50	517.12	75.00	3532.14	5573.81
20	पंजाब	296.50	223.50	798.22	0.00	1244.47
21	राजस्थान	1,002.00	692.41	5,595.64	8513.42	6876.79
22	सिक्किम	200.00	300.00	551.36	797.85	1130.27
23	तमिलनाडु	-	505.50	4,011.27	5326.42	4958.94
24	तेलंगाना	358.00	214.14	2,500.98	1948.34	1368.21
25	त्रिपुरा	300.00	118.54	349.79	662.92	812.82
26	उत्तर प्रदेश	976.00	1,483.00	7,940.50	19215.08	10795.16
27	उत्तराखंड	675.00	263.92	1,124.01	1911.71	898.56
28	पश्चिम बंगाल	630.00	933.00	3,655.92	5015.58	9728.94
कुल		**11,830.29**	**14,185.78**	**81,195.35**	**109554.32**	**106046.54**

अनुबंध-'ख'

पिछले दो वर्षों के दौरान 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना' के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	107	63
2	अरुणाचल प्रदेश	202	30
3	असम	244	562
4	बिहार	147	4
5	छत्तीसगढ़	442	8
6	गोवा	39	41
7	गुजरात	144	306
8	हरियाणा	21	244
9	हिमाचल प्रदेश	55	58
10	झारखंड	337	10
11	कर्नाटक	25	26
12	केरल	125	40
13	मध्य प्रदेश	187	352
14	महाराष्ट्र	276	318
15	मणिपुर	36	36
16	मेघालय	147	169
17	मिज़ोरम	91	149
18	नागालैंड	78	102
19	ओडिशा	0	155
20	पंजाब	84	2
21	राजस्थान	301	336
22	सिक्किम	14	3
23	तमिलनाडु	33	21
24	तेलंगाना	83	6
25	त्रिपुरा	190	2
26	उत्तर प्रदेश	43	269
27	उत्तराखंड	110	19
28	पश्चिम बंगाल	319	493